

डिकी मुकदमा इकादाई
(ओ0 20 रूल 6-7 जाका दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी -

प्रकरण संख्या-117/2024

हेमराज गुजर, R.A.S.

दायर दिनांक-30.05.2024

जीसीएमएस नं. 2015/00156

1. अमरसिंह उम्र 60 साल
2. भूरसिंह उम्र 56 साल
- 2/1 ललता देवी पत्नि भूपसिंह
- 2/2 तनुज पुत्र भूपसिंह
- 2/3 राहुल पुत्र भूपसिंह
- 2/4 मधु पुत्री भूपसिंह
- 2/5 अजली पुत्री भूपसिंह
3. भगतसिंह उम्र 52 साल
4. भोमपाल उम्र 55 साल
5. विजय उम्र 52 साल

पिसरान श्री गुटेरी पुत्र रजोल जाति धाकड
निवासी धाकड पोठा हिण्डौन सिटी जिला करौली

पिसरान भूरसिंह उर्फ भौरीसिंह जाति धाकड
निवासी धाकड पोठा हिण्डौन सिटी जिला करौली

वादीगण-05

बनाम

1. मुरारी उम्र 80 साल पुत्र श्री टुन्टी उर्फ कन्हीराम
- 1/1 रमन पुत्र मुरारीलाल
- 1/2 निहाल पुत्र मुरारीलाल
2. महेन्द्र उम्र 45 साल पुत्र भगवत
3. गुडडु पुत्र इन्दरसिंह पुत्र भगवत उम्र 30 साल
4. ओमबाबू पुत्र मनोहरी उम्र 65 साल
- 4/1 गोपाल पुत्र ओमबाबू
5. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी लैण्ड होल्डर
6. राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर जिला करौली राज0

जाति धाकड निवासी झारेडा रोड
हिण्डौन सिटी जिला करौली

प्रतिवादीगण-06

दावा बाबत इस्तकरारहक, इन्द्राज दुरस्ती, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 117/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादी न0 1 ता 6 एकपक्षीय कार्यवाही मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नं0 1193/9796 रकवा 0.08 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में रजोल पुत्र मिट्ठे हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादी संख्या संख्या 1 ता 3 को 1/2 हिस्से का खातेदार काशतकार तथा उक्त आराजी में से भगवतलाल, मुरारीलाल व मनोहरी पिसरान टुन्टी हिस्सा 3/8 की खातेदारी हजफ की जाकर उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का वादीगण न0 4 व 5 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं वादी संख्या 4 व 5 की पूर्वज भूरसिंह उर्फ भौरीसिंह उक्त विवादित आराजी में हिस्सा 1/8 के खातेदार काशतकार है तथा वादी संख्या 4 व 5 भौरीसिंह के वारिस है इसलिये उक्त आराजी में भौरीसिंह के वारिसान वादीसंख्या 4 व 5 के हक में हिस्सा 1/8 की विरासत का नामांतरण तस्दीक फरमाया जावे। इस संबंध में तहसीलदार हिण्डौन को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में खातेदारी का इन्द्राज दर्ज किये के आदेश दिये जाते है तथा उक्त आराजीयात के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के उक्त आराजीयात के कब्जे काशत में मजाहमत व मदाखलत नही करे ना हि किसी अन्य से करावे वादीगण को शातिपूर्वक कब्जा काशत करने देवे। इस संबंध में तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हों तथा वादीगण द्वारा तकास्मा की रिलीफ को प्रेस नहीं किया है इसलिये तकास्मे की ददारसी बाबत कोई आदेश

पारित नहीं किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पक्षकार अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.09.2024 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुज्जर) 23/9/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली